


# कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-व-15(84)आरपीए/जन/तरल केन्टीन/19/ 3438 दिनांक:- 28/5/2020


## निविदा सूचना

इस संस्था परिसर में लगभग 250 से 750 प्रशिक्षणार्थियों एवं स्टाफ के लिये तरल केन्टीन को ठेके पर दिये जाने हेतु अनुभवी इच्छुक ठेकेदारों से सीलबन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में 200/- रु0 डी.डी. या बैंकर्स चैक जमा करवा कर इस संस्थान से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई निविदाएं दिनांक 23.06.2020 को 3.00 बजे दोपहर तक इस कार्यालय में जमा कराई जा सकेगी तथा प्राप्त निविदाएं सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा फार्म के साथ 4100/- रु. अमानत राशि जमा कराना आवश्यक है। अमानत राशि के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। समस्त शर्तों आदि का विवरण निविदा फार्म के साथ संलग्न है।

  
अति.महानिदेशक पुलिस,  
एवं निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
2. सहायक निदेशक, आउटडोर/इण्डोर, आर.पी.ए. जयपुर।
3. लेखाधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
4. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को निविदा सूचना को आरपीए जयपुर की वेबसाइट एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल पर डालने हेतु।
5. आर.आई. (प्रशासन)/ कैशियर आर.पी.ए. जयपुर।

  
अति.महानिदेशक पुलिस,  
एवं निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी,  
जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर।

निविदा प्रारूप  
(देखिए नियम 68)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवम् टिन न. ....
2. तरल कैंटीन का वार्षिक शुल्क (ठेका राशि) (न्यूनतम 17,000/-रु. प्रति माह)
3. वस्तुओं का नाम जो कमेटी द्वारा तय की गई अनुमोदित दरें निम्नानुसार होगी, जो निविदा दाता प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को मध्य नजर रखते हुये अंकित करेंगे :-

क्र.सं.	सामग्री का नाम	अधिकतम दर
1.	चाय (100 ml) (प्रति कप)	5/-
2.	कॉफी (100 ml) (प्रति कप)	10/-
3.	दाना / बेसन लड्डू (प्रति किलो)	240/-280/-
4.	मावे की मिठाई (प्रति किलो)	300/-
5.	दूध मीठा प्रति गिलास (250 मि.ग्रा), प्रति गिलास	15/-
6.	दही (प्रति किलो)	80/- or MRP (if Packed)
7.	नमकीन (बीकानेरी) (प्रति 400 ग्राम) नमकीन (बीकानेरी) (प्रति 50 ग्राम)	64/- or MRP (if Packed) 10/- or MRP (if Packed)
8.	सेंडविच (प्रति नग) कचौरी (प्रति नग) समोसा (प्रति नग) ब्रेड पकौड़ा सादा/पनीर (प्रति नग) मिर्ची बड़ा (100 gm) (प्रति नग)	25/- 18/10/- 10/- 12/18 12/-
9.	कोल्ड ड्रिंक (200 ml)	10/- MRP
10.	बेकरी बिस्कुट, (प्रति नग) क्रिम रोल, पारले, MRP ब्रिटानिया, अन्य बिस्कुट MRP	01/- 5/- 5/- 5/-
11.	छाछ नमकीन / मीठी	15/-15/-
12.	लस्सी	24/-
13.	जूस खुला मौसमी अनार आम पपीता लिची जूस पैकेट 1 लीटर मैंगो जूस पैकेट 1 लीटर पाईनेपल जूस पैकेट 1 लीटर अमरस जूस पैकेट 1 लीटर	25/- 60/- 15/- 15/- 99/- MRP 99/- MRP 99/- MRP 99/- MRP
14.	सेव फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा. केला फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा. मौसमी फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा. पपीता फ्रुट्स (Cut) प्रति कि.ग्रा.	150/- 25/- 40/- 25/-
15.	वैज पेटिज ऑर्डर पर	10/-
16.	खमन ढोकला ऑर्डर पर (प्रति किलो)	120/-
17.	कलाकन्द	280/-
18.	मावे की मिठाई	300/-
19.	सरस डेयरी के उत्पादक दही 200 ग्राम MRP दूध 500 ग्राम MRP मक्खन 100 ग्राम MRP	15/- 18/- 37/-
20.	अन्य कोई सामग्री (संलग्न लेटर पेड पर अंकित करें)	

4. निविदा शुल्क की राशि डीडी/बैंकर चैक संख्या .....दिनांक..... राशि 200/- जरिये रसीद संख्यां ..... दिनांक.....से जमा करा दिये हैं जो फार्म के साथ संलग्न है।
5. अमानत राशि रूपये 4100/- जरिये रसीद संख्या.....दिनांक .....जमा करा दी है।
6. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना सं .....दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की हमारे द्वारा द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में जनरल कैंटीन आरम्भ कर दी जावेगी।
8. तरल कैंटीन का अनुबन्ध 1 वर्ष के लिये विधि मान्य है इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर



टिप्पणी:- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
3. संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते हैं।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टकण से भरा जावेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
5. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेंगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए।
6. विधि मान्यता:- निविदा उनके खोले जाने के दिनांक से 12 माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।
7. ठेकेदार अपनी संविदा की या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे पर नहीं देगा।
8. कैंटीन में बेची जाने वाली सामग्री अनुमोदित नमूने के अनुरूप तथा अच्छे ब्राण्ड की होनी चाहिए।
9. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:-
  - (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति जमा करनी होगी।
  - (2) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
  - (3) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी:-
    - (1) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ चालान की रसीद प्रति।
    - (2) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।
    - (3) अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस/ सेंविग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/ विलेख यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समपर्ण मूल्य (सरेण्डर मूल्य) पर स्वीकार किया जायेगा।
10. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी को होगा।
11. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा किया जाएगा जा अन्तिम रूप से मान्य होगा।
12. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
13. आवश्यक फर्नीचर संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे।
14. पानी के 150/- रू० प्रतिमाह एवं बिजली खर्च मीटर के अनुसार स्वयं को वहन करना होगा। विद्युत कनेक्शन स्वयं (फर्म) द्वारा लिया जायेगा।
15. टेण्डर खुलने पर सालाना राशि 25 प्रतिशत प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में अग्रिम रूप से जमा कराना होगा।
16. समाचार पत्र कैंटीन में मंगाना होगा।
17. गुणवत्ता की शिकायत होने पर एक मौका दिया जायेगा, दूसरी दफा गलती होने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर कैंटीन ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
18. ठेकेदार की सेवाओं से सन्तुष्ट होने पर चाहे तो अगले वर्ष के लिए 10 से 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर नवीनीकरण किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर